



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-947/RJ/33/2023-SSW


दिनांक: 26/06/2023

श्री नवीन जैन
सचिव,
स्कूल शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार,
सचिवालय,
जयपुर, राजस्थान 302005
Email Id: secy.school@education@rajasthan.gov.in
Tel. No: 01412227507

विषय: शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्री तुलसी राम गमेती को शिक्षा सहयोगी पद पर स्थायी नियुक्ति ना करने एव वेतन का भुगतान ना करने के संबंध में - श्री तुलसी राम गमेती, जिला - उदयपुर, राजस्थान का दिनांक 30.01.2023 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Tulsi Ram Gameti से दिनांक 30/01/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री तुलसी राम गमेती,
मुकाम पोस्ट, वाजमिया ग्राम पंचायत गोलवाड़ा, तहसील मावली,
जिला - उदयपुर (राजस्थान)
Mobile No:9929358990

✓ NIC, NCST (Please upload this on the website of the Commission)